न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 105/2022 (GCMS No. 2022/110) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. ओमी पुत्र पन्ना उम्र 42 साल जाति जाटव निवासी विरवास तहसील करौली जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर करौली दिनांक 03.04.2000 मु.नं. 59/99 उनवानी राज.सरकार बनाम पन्ना वावत् आवंटन आदेश दिनांक 18.06.83 खसरा नम्बर 114/21 रकबा 3 बीघा ग्राम विरवास तहसील करौली।

उपस्थितिः–

1. श्री अब्दुल लतीफ खान, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य दिनांक : 23.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 03.04.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के पिता पन्ना का स्वर्गवास हो चुका है। पन्ना को अपने जीवनकाल में आराजी को जिस्मानी मेहनत कर लाखों रूपये लगाकर काविल काश्त बनाया है और भूमि को काश्त किया, परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं करने के कारण काश्त करने का इन्द्राज नहीं किये है। पन्ना के मरने के बाद अपीलान्ट उसका वारिस पुत्र भूमि आराजी को काश्त करता चला आ रहा है और काविज है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली के समक्ष

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

वकील द्वारा दौराने बहस व जबाब में भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट तलब करने का निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलान्ट के पिता की मौजूदगी में तलब नहीं कर एवं पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट एक पक्षीय को आधार मानकर जैर अपील निर्णय पारित किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलव किया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि निर्णय दिनांक 03.04.2000 अधीनस्थ न्यायालय पूर्णतया आरवेट्रेरी है, परिवरिश रैस्पोडैन्ट है। अपीलान्ट के पिता पन्ना का स्वर्गवास हो चुका है। पन्ना को अपने जीवनकाल में आराजी को जिस्मानी मेहनत कर लाखों रूपये लगाकर काबिल काश्त बनाया है और भूमि को काश्त किया है, परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं करने के कारण काश्त करने के इन्द्राज नहीं किये है। पन्ना के मरने के बाद अपीलान्ट उसका वारिस पुत्र भूमि आराजी को काश्त करता चला आ रहा है और काबिज है। अपीलान्ट जाति से जाटव है। अनुसूचित जाति का सदस्य है। भूमि हीन व्यक्ति है। अपीलान्ट के परिवार के भरण पोषण का जरिया उक्त आवंटित भूमि है। अपीलान्ट के पिता के वकील सुकालाल तिवाडी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने बहस व जबाब में भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट तलब करने का निवेदन किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलान्ट के पिता की मौजूदगी में तलब नहीं कर एवं पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट एक पक्षीय को आधार मानकर जैर अपील निर्णय पारित किया है। पन्ना के वारिसों को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई और मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। जबकि मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेना चाहिए था। बिना वारिसान को रिकार्ड पर लिये मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.07.2022 को पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी लेने जाने पर पटवारी हल्का द्वारा निर्णय दिनांक 03.04.2000 न्यायालय जिला कलक्टर करौली के निर्णय से आवंटन दिनांक 18.06.83 निरस्त होने की कहने पर दिनांक 12.7.2022 को अपीलान्ट द्वारा नकल निर्णय दिनांक 03.04.2000 का आवेदन रिकार्ड रूम करौली में करने पर दिनांक 12.7.2022 को ही नकल निर्णय प्राप्त होने पर हुई। इससे पूर्व जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही है। दिनांक 03.04.2000 से दिनांक 11.07.2022 तक का समय जानकारी अपीलान्ट के अभाव में कण्डोन (क्षम्य)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

किये जाने योग्य है। जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियिम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय दिनांक 03.04.2000 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली निरस्त किया जाकर आवंटन दिनांक 18.06.1983 बावत् खसरा नम्बर 114/31 रकवा 3 बीघा ग्राम विरवास तहसील करौली बहाल किया जावे।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पिता को आवंटित हुई थी जिसपर अपीलान्ट के पिता तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वारिस पुत्र काश्त करते आ रहे हैं। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कभी भी गिरदावरी नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पिता मृतक पन्ना के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मृतक के वारिसान को भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया। निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.07.2022 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी लेने के समय हुई। अतः अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.12.1999 में यह उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी के नोटिस पर उसके फौत होने बावत् सूचना अंकित की गई। अप्रार्थी के पुत्र बाबूलाल उपस्थित है, जिनकी ओर से वकालतनामा पेश किया गया है। तहसीलदार खण्डार से मृतक के वारिसानों की सूची प्राप्त की जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.01.2000 नियत की गई थी। दिनांक 03.04.2000 की आदेशिका में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में मृतक पन्ना की ओर से उसके पुत्र बाबूलाल की उपस्थित अंकित है, साथ ही उसकी ओर से प्रस्तुत वकालतनामा को दिनांक 14.12.1999 को शामिल पत्रावली कर लिया गया था। अतः यह कहना कि अपीलान्ट के वारिसानों को रिकार्ड पर नहीं लिया गया, न्यायालय के मत में उचित नहीं है। केवल संशोधित शीर्षक के अभाव में ही यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया है, जबकि मृतक का पुत्र

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बाबूलाल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी कर रहा था। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील केवल स्वयं के नाम से ही पेश की है। अपीलान्ट के मृतक पिता के पुत्र बाबूलाल जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे का उल्लेख अपील में कहीं नहीं किया गया है और यदि अन्य कोई वारिस हों तो उनका उल्लेख भी नहीं किया गया है। अपीलान्ट के मृतक पिता के पुत्र बाबूलाल को अपील के बारे में पर्याप्त जानकारी थी एवं सुनवाई का पूरा अवसर मिला था। न्यायालय के मत में लगभग 22 साल के पश्चात अपील पेश किये जाने का कोई यथोचित कारण का उल्लेख नहीं किया है जिसके कारण बिलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर विवादित आराजी पर उसका अथवा उसके पिता का लगातार कब्जा सिद्ध होता हो। उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2000 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/06/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर